

19/11/20

आज यह पत्रावली पार्थीया के डा. पत्र पर खारिज कर दी गई। पार्थीया सर्व वकील करिबेन उपस्थित। क्योंकि वादिया द्वारा झूठ दावा विद्वा कर लिया है। इस लिए डा. पत्र साहीन होने के कारण खारिज कर दिया जाता है। पूर्व में जारी T.R. खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)